

15.11.21

पत्रावली पेश हुई। बार-बार  
आवाज दिलवाये जाने के बावजूद  
भी ना तो जप्पीलान्त एवं ना ही  
उन्हे अनिश्चित उपस्थित हुए। अतः  
पत्रावली अद्यम हाजरी एवं अद्यम पैकी  
में श्वारिज की जाती है। पत्रावली में  
सुमार की जाकर अम्बर से कम की  
जावे, बाद अस्ता दखिल दफ्तर हो।

मु-अम्बर  
अम्बर का अधिकार  
अम्बर के-पी-पु